भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3336

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सुरक्षा पोर्टल का आंरभ

3336. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के जुलाई 2024 में जारी निर्देश के अनुसरण में भ्रामक विज्ञापनों और दवा के प्रतिकूल प्रभाव पर वास्तविक समय में निगरानी रखने के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल आरम्भ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों/प्रतिकूल प्रभाव संबंधी घटना की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में शिकायतों के बाद सरकार द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में नियामक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुलाई 2024 में जारी किए गए निर्देश के अनुपालन में 30 मई 2025 को कथित भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आपत्तिजनक विज्ञापनों (ओए) और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) पर नज़र रखने के लिए एक आईटी सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" लॉन्च किया है।

पोर्टल में संदिग्ध एडीआर की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और त्वरित विनियामक कार्रवाई और गहन डेटा विश्लेषण के लिए एमएलए/ओए को कैप्चर करने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड की सुविधा है।

(ग) और (घ): आयुष क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के संबंध में आयुष सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से अब तक प्राप्त शिकायतों का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जा रहा है।

*****

संलग्नक-I

आयुष क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए) और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) के संबंध में आयुष सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से अब तक प्राप्त शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

आयुष सुरक्षा पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए एमएलए और संदिग्ध एडीआर		
द्वारा प्रस्तुत	**एमएलए**	**संदिग्ध एडीआर**
जनता द्वारा प्रस्तुत	19	00
एनपीवीसीसी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली	39	00
आईपीवीसी, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	182	07
आईपीवीसी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	495	21
आईपीवीसी, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	118	00
आईपीवीसी, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु	150	07
आईपीवीसी, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	169	04
कुल	**1172**	**39**